

अपर उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला-खरसावों।

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

टी0ए0 मिस केश सं0 ...01/2021-22.....

जिला - सरायकेला - खरसावों

केस का प्रकार - ...Section-46.....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/10/21	<p>आवेदक श्री कार्तिक महतो, पिता- स्व0 ब्रज महतो, जाति- कुर्मी (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) निवासी ग्राम - चन्द्रपुर, पो0- मधुपुर, थाना- सरायकेला, जिला- सरायकेला-खरसावों ने मौजा - नवाडीह, थाना - सरायकेला, थाना नं0- 292, खाता नं0-104, प्लॉट नं0-214, रकवा - 0.05 एकड़ एवं प्लॉट सं0-215, रकवा- 0.13 एकड़, कुल रकवा-0.18 एकड़ जमीन को क्रेता - श्री बुद्धेश्वर महतो, पिता- बन बिहारी महतो, जाति- कुर्मी (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) ग्राम- मोलाडीह, पंचायत- जोजोडीह, पो0- पदमपुर, थाना-खरसावों, जिला- सरायकेला-खरसावों के पास वैवाहिक कार्य के वास्ते रूपये की आवश्यकता होने के कारण अनुमानित बाजार मूल्य 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) ₹0 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) प्रोभिजों "बी" के अंतर्गत बेचने के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक-1591, दिनांक-28.09.2021 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जांच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि मौजा - नवाडीह, थाना - सरायकेला, थाना नं0- 292, खाता नं0-104, प्लॉट नं0-214, रकवा - 0.05 एकड़ एवं प्लॉट सं0-215, रकवा- 0.13 एकड़, कुल रकवा-0.18 एकड़ भूमि विक्रेता के पिता ब्रज महतो, पिता-आनन्द महतो के नाम पर खतियान एवं पंजी-11 में दर्ज है। विक्रेता थाना - सरायकेला एवं क्रेता थाना- खरसावों क्षेत्र एवं एक ही जिला के निवासी हैं तथा दोनों कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य हैं। आवेदित भूमि पर विक्रेता का शांतिपूर्ण दखल है। आवेदित भूमि बिक्री पश्चात आवेदक के हिस्से में कुल रकवा-5.58 एकड़ भूमि शेष बचता है जो भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। अंचल अधिकारी, सरायकेला का बिक्री अनुमति हेतु अनुशंसा है।</p> <p>अतः प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा रखा गया पक्ष के आधार पर श्री कार्तिक महतो, पिता- स्व0 ब्रज महतो, जाति- कुर्मी (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) निवासी ग्राम - चन्द्रपुर, पो0- मधुपुर, थाना- सरायकेला, जिला- सरायकेला-खरसावों ने आवेदित भूमि मौजा - नवाडीह, थाना - सरायकेला, थाना नं0- 292, खाता नं0-104, प्लॉट नं0-214, रकवा - 0.05 एकड़ एवं प्लॉट सं0-215, रकवा- 0.13 एकड़, कुल रकवा-0.18 एकड़ जमीन को क्रेता - श्री बुद्धेश्वर महतो, पिता- बन बिहारी महतो, जाति- कुर्मी (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) ग्राम- मोलाडीह, पंचायत- जोजोडीह, पो0- पदमपुर, थाना-खरसावों, जिला- सरायकेला-खरसावों को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) प्रोभिजों "बी" के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।</p>	

लेखापित

अपर उपायुक्त

सरायकेला-खरसावों

अपर उपायुक्त

सरायकेला-खरसावों।